

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमामाहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

| क्र | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | जिला     | परियोजना      | SEAC अनुशंसित/ द्वारा परियोजना पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय                |
|-----|-------------|-----------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | P2/1004/24  | 1(a)            | छतरपुर   | ग्रेनाइट खदान | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 2.  | P2/970/24   | 1(a)            | ग्वालियर | पत्थर खदान    | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 3.  | P2/979/24   | 1(a)            | अनूपपुर  | पत्थर खदान    | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 4.  | P2/1010/24  | 1(a)            | खरगोन    | पत्थर खदान    | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 5.  | P2/995/24   | 1(a)            | छतरपुर   | पत्थर खदान    | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 6.  | P2/971/24   | 1(a)            | ग्वालियर | पत्थर खदान    | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 7.  | P2/976/24   | 1(a)            | ग्वालियर | पत्थर खदान    | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 8.  | P2/967/24   | 1(a)            | ग्वालियर | पत्थर खदान    | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 9.  | P2/1005/24  | 1(a)            | भोपाल    | पत्थर खदान    | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 10. | P2/1006/24  | 1(a)            | निवाड़ी  | पत्थर खदान    | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 11. | P2/1007/24  | 1(a)            | निवाड़ी  | पत्थर खदान    | ToR (DEIAA - EC)                         | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 12. | P2/752/24   | 1(a)            | निवाड़ी  | पत्थर खदान    | ToR                                      | पुनः परीक्षण हेतु                  |

(आर. उमामाहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

|                                                    |           |      |         |                                |                     |                                       |
|----------------------------------------------------|-----------|------|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                                    |           |      |         |                                | (DEIAA - EC)        | SEAC को अग्रेषित                      |
| 13.                                                | P2/753/24 | 1(a) | निवाड़ी | पत्थर खदान                     | ToR<br>(DEIAA - EC) | पुनः परीक्षण हेतु<br>SEAC को अग्रेषित |
| 14.                                                | P2/754/24 | 1(a) | निवाड़ी | पत्थर खदान                     | ToR<br>(DEIAA - EC) | पुनः परीक्षण हेतु<br>SEAC को अग्रेषित |
| 15.                                                | P2/755/24 | 1(a) | निवाड़ी | पत्थर खदान                     | ToR<br>(DEIAA - EC) | पुनः परीक्षण हेतु<br>SEAC को अग्रेषित |
| <b>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा</b> |           |      |         |                                |                     |                                       |
| 16.                                                | P2/790/24 | 1(a) | रतलाम   | पत्थर खदान                     | पर्यावरण स्वीकृति   | ADS जारी किया जाये                    |
| 17.                                                | P2/791/24 | 1(a) | बड़वानी | पत्थर खदान                     | पर्यावरण स्वीकृति   | जारी किया जाये                        |
| 18.                                                | 10127/23  | 1(a) | देवास   | पत्थर एवं<br>एम- सेण्ड<br>खदान | पर्यावरण स्वीकृति   | जारी किया जाये                        |
| 19.                                                | 9663/23   | 1(a) | रतलाम   | पत्थर खदान                     | पर्यावरण स्वीकृति   | जारी किया जाये                        |
| 20.                                                | P2/814/24 | 1(a) | बैतूल   | पत्थर खदान                     | पर्यावरण स्वीकृति   | जारी किया जाये                        |

1. **Case No. P2/1004/24** Shri Mukesh Jain. Lessee, M/S GRANITE INDIA, 43 Jawahar Road District Chhatarpur (M. P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 4.10 ha. (3000 cum per annum) (Khasra No. 794) Village Garhi Malhara Tehsil Maharajpur District Chhatarpur (M.P.) B-2 SIA/MP/MIN/475302/2024 ( DEIAA- Re-appraisal) ToR.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

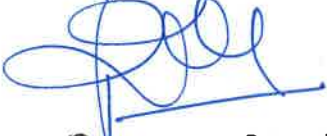
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिब नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण

क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

2. **Case No. P2/970/24** Shri Shyam Sharma, M/s Survodaya Manufacturer & Contractor, GANGA MAI SANTAR MURAR GWALIOR (M.P.)- 474001 Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Mine for Making Gitti Through Crusher, Lease Area: 0.50 Ha., Stone – 2,205 M3/Year. at Khasra No. – 3624/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior (M.P.). ToR Case. DEIAA to SEIAA) SIA/MP/MIN/472112/2024. (DEIAA- Re-appraisal)] TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैंडर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

3. **Case No. P2/979/24** Shri Rajendra Singh, Project Proponent, M/s KISHAN STONE CRUSHERS, WARD NO. 14, DOGARIYA TOLA, AMLAI COLONY AMLAI ANUPPUR(M.P.)- 484116, Prior Environment Clearance for Haweli Stone Quarry Lease, Gitty/Boulder - 12,348 M3/Year, Lease

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

Area – 1.441 ha, Khasra No. - 518/1, 518/2, at Village- Haveli, Tehsil - Pushparajgarh, Distt.- Anuppur, (M.P.). (TOR) [MIN/468344 /2024 (DEIAA- Reappraisal)] TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रायणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

4. **Case No. P2/1010/24** Shri Chandrasekhar Maina, R/o-Pahadsinghpura Khargone, District-Kharogone, M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone – 7566 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 25) Village Adampura, Tehsil Khargone, District Khargone (M.P.). (DEIAA Re-appraisal)] TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण

अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

5. **Case No. P2/995/24** Shri Vinod Kumar Khedia, Proprietor, M/s KISAN EXPORTS, Khedia Bhawan, P.O. Bijuri, Tehsil- Kotma, Distt- Anuppur MP – 484440. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.247 ha. (2963 cum per annum) (Khasra No. 465, 469 466 & 467) Village- Malka, Tehsil- Maharajpur, District- Chhatarpur, (M.P.) TOR SIA/MP/MIN/474874/2024 (DEIAA-Re-appraisal)] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

(आर. उमाशेखरी)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

6. **Case No. P2/971/24** Shri Sanjeev Mittal S/o Shri Vasudev Mittal M/s Kailadevi Stones Partner, Niwasi-776, Sheel Nagar, Bahodpur,, District Gwalior (M.P.). 282001, Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone Mine for Making Gitti Through Crusher at Khasra No.- 135, an Area - 2.987 ha., at Village - Rafatpur, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 50,000 M3/ Year. (ToR), Form-2 DEIAA to SEIAA.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

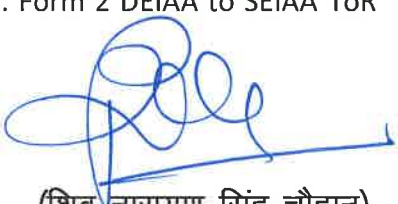
इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

7. **Case No. P2/976/24** Shri Sunil Sharma s/o Ramavtaar Sharma, Proprietor, M/s Shiva Stone Crusher, Niwasi Birla Nagar, Gwalior (M.P.) - 474001. Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Quarry at Khasra No.- 3717/2, an Area - 2.00 ha., at Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 38,808 M3/ Year. Form 2 DEIAA to SEIAA ToR Case. SIA/MP/MIN/475615/2024. ToR, Form-2 DEIAA to SEIAA.

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैंडर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

8. **Case No. P2/967/24** Smt. VINITA YADAV, W/o Shri Uttam Singh R/o 63, New Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, City Centre, District-Gwalior (M.P.) 474011, Prior Environment Clearance for Biloua Stone Mine Project at Khasra No.- 3717/2, an Area - 1.50 ha., at Village - Bilaua, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone – 45,684 M3/ Year. ToR, Form-2 DEIAA to SEIAA.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैंडर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष



**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

9. **Case No. P2/1005/24** VINITA SHARMA, lease owner, R/o- B-7, Sahkari Parisar, Kalpana Nagar, Raisen Road, District- Bhopal Madhya Pradesh 462022. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.760 ha. (Stone – 5080 m3/Year) (Khasra No. 39,45,46,47) Village-Ratatal, Tehsil Huzur & District-Bhopal, Madhya Pradesh. (TOR) SIA/MP/MIN/475521/2024

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765 वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष



**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

- 10. Case No. P2/1006/24** Shri KAILASH GUPTA, B.N. 69 KARIYAPPA MARG, IN FRONT OF BSNL EXCHANGE, CANTT JHANSI (UP) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.00 ha. (Stone – 51617 m3/Year ) (Khasra No. 1/1) Village –Pratappura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). (TOR) SIA/MP/MIN/476646/2024 DEIAA-New

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765 वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

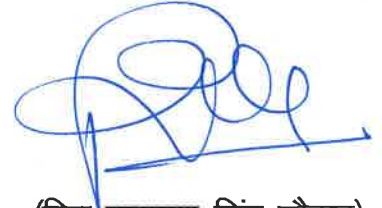
अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

- 11. Case No. P2/1007/24** Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. for production capacity (Stone – 23211 m3/Year) (Khasra No. 3/2) Village –Bhojpura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.) by shri vishal gupta, lessee, 117/4, Civil Line near Allahabad Bank, in front of Red Rose School, jhansi (UP) (TOR) SIA/MP/MIN/471892/2024 DEIAA-New

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765 वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

- 12. Case No P2/752/24 :** Prior Environmental Clearance for Jijora Stone Quarry in an area of 2.00 ha. for production capacity (Stone – 20000 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No.-678/697/1, 679/1, 679/691, 679/693, Village –Jijora, Tehsil Orchha, Distt. Niwari by Shri Sunil Kumar Gupta, Tehsil-Jhansi, District-Jhansi (U.P) [MIN/469346/2024(DEIAA- Re-appraisal)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैंडर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

- 13. Case No P2/753/24** Prior Environmental Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. for production capacity (Stone -1,23,122 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No.226/1) Village -Sitapur, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.) by Shri SUNIL KUMAR GUPTA Address 1874/4 near RTO office Jhansi UP (TOR) SIA/MP/MIN/469361/2024 DEIAA-New

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

- 14. Case No P2/754/24** Prior Environmental Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. for production capacity (Stone -123122 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No.226/1), Village -Sitapur, Tehsil

(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष



**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

Orchha, Distt. Niwari (M.P.) by Shri SUNIL KUMAR GUPTA Address 1874/4 near RTO office Jhansi UP (TOR) SIA/MP/MIN/469361/2024 DEIAA-New

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

**15. Case No P2/755/24** Prior Environmental Clearance for Stone quarry in an area of 3.50 ha. for production capacity (Stone -116594 m3/Year) (Khasra No.226/1) Village -Sitapur, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.) by Shri Vishal gupta Address- 117/4 civil line Allahbad bank Jhansi UP (TOR) SIA/MP/MIN/469411/2024 DEIAA-New

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष



**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वीं बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदनुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा—**

**16. प्रकरण क्र. P-2/790/2024** परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश कोठारी, प्रोपराइटर, निवासी मकान न. 380 कटजु नगर तहसील— रतलाम जिला— रतलाम (म.प्र.)— 457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11,115 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 खसरा क्रमांक 181 ग्राम बिबडोद, तहसील— रतलाम, जिला— रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

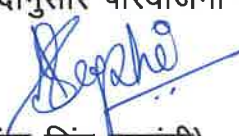
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755वीं बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

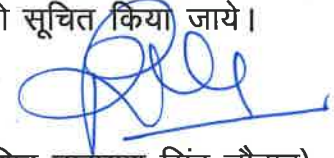
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है, जो कि मान्य नहीं है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्रानुसार उक्त खदान की जानकारी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है।
3. SEAC के कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्र. 14 पर दर्शित तालिका में परियोजना प्रस्तावक को जारी DEIAA की पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा में पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति की जानकारी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दु क्रमांक 1 से 3 तक की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

**17. प्रकरण क P-2/791/2024** परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र कोली, निवासी खेतीया, तहसील-पानसेमल जिला- बड़वानी (म.प्र.)- 451881 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 खसरा क्रमांक 196/9 ग्राम दोंदवाडा, तहसील-पानसेमल जिला- बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755वीं बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 755वी बैठक दिनांक 21.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्र. 782 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.06.2030 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं निर्माणाधीन स्कूल से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (iv) भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाये।
- (v) अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

- 18. प्रकरण क 10127/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री हरसिद्धी स्टोन केशर, पार्टनर श्री शिवम चौधरी आत्मज श्री बंशीलाल चौधरी निवासी ग्राम राजोदा कैलोद तहसील— देवास जिला— देवास (म. प्र.)— 455001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 41,320 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.80, खसरा क्रमांक 2/2, 3, 4, 5/2, ग्राम बरखेडी, तहसील— देवास जिला— देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755वीं बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत खसरा पंचशाला फॉर्म 11 अनुसार उत्खनन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा क्र. 2/2, 3, 4, 5/2 निजी भूमि है, जिसके भू-स्वामी की अनुमति से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गए हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 755वी बैठक दिनांक 21.05.2024 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1161/खनिज/2023-24, दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 20.09.2018 से 19.09.2028 तक) की स्वीकृति है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 19.09.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू-दस्तावेजों के अनुसार खदान के भू-स्वामी की सहमति नहीं होना पाया गया है। अतः जिला खनिज अधिकारी उक्त खदान में खनन संक्रिया आरंभ करवाये जाने के पूर्व जिला कलेक्टर के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं भू-स्वामी की उपस्थिति में भू-स्वामी द्वारा प्रदत्त सहमति/अनापत्ति का अभिप्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (v) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण

(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष



**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025**  
**का कार्यवाही विवरण**

बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में “एक पेड़ मों के नाम” के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाये।
- (ix) अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित कर प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025**  
**का कार्यवाही विवरण**

**19. प्रकरण क 9663/2023** परियोजना प्रस्तावक श्रीमति निसरीन पाकावाला, निवासी 16 रामबाग तहसील— रतलाम जिला— रतलाम (म.प्र.)— 457001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार (पत्थर 5044 घनमीटर प्रतिवर्ष से गिट्टी 13500 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम—सेण्ड 31500 घनमीटर प्रतिवर्ष) रकबा 2.0 खसरा कमांक 273/16, 273/17 ग्राम रामपुरिया, तहसील— रतलाम जिला— रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755वीं बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 755वीं बैठक दिनांक 21.05.2024 की विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट—2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र कमांक 1422/खनिज/2016—17, दिनांक 07.02.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.02.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक “नो माइनिंग जोन” के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (iv) भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में “एक पेड़ माँ के नाम” के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाये।
- (v) अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हों। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की

(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025  
का कार्यवाही विवरण**

शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

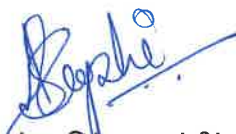
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित कर प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

**20. प्रकरण क P2/814/2023** परियोजना प्रस्तावक श्री उमेश साहु, निवासी महावीर वार्ड, मुलताई जिला- बैतूल (म.प्र.)- 460661 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार पत्थर 4950 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 खसरा क्रमांक 642/1 ग्राम बघोडा, तहसील- मुलताई जिला- बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755वीं बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

  
(आर. उमामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

  
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

  
(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 755वी बैठक दिनांक 21.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्र. 481 दिनांक 18.04.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 17.04.2027 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (iv) भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाये।
- (v) अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(आर. रामहेश्वरी)  
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)  
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)  
अध्यक्ष